प्रेस नोट दिनांक- 06.02.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते ऑटो चोरी करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी 03 माह 15 दिन का कारावास तथा 10,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना फ्रेण्डस कालोनी व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते ऑटो चोरी करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी 03 माह 15 दिन का कारावास तथा 10,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 08.06.2021 को वादी मो0 सोहेल पुत्र अब्दुल शकूर निवासी जुलाहपुरी इकदिल जनपद इटावा द्वारा थाना फ्रेंण्डस कालोनी पर उसके ऑटो चोरी होने के संबंध में तहरीर दी। जिसके संबंध में थाना फ्रेंण्डस कालोनी पर मु0अ0सं0 243/21 धारा 379/411 भादवि पजीकृत किया गया था।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 श्री राम प्रताप सिंह द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना फ्रेण्डस कालोनी पुलिस टीम पैरोकार का0 दिनेश कुमार एवं मानीटरिंग सैल व एपीओ श्री आशुतोष द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को आज दिनांक 06.02.2024 को अन्तर्गत धारा 379/411 भादवि में मा0 न्यायालय सीजेएम महोदय इटावा द्वारा 03 माह 15 दिन का कारावास तथा 10,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. फैजल पुत्र स्व0 शरीफ निवासी आरामशीन के पास आजाद टीला थाना फ्रेंण्डस कालोनी जनपद इटावा।